DRAFT

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 4] GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2023
S.R.O WHEREAS the draft bye-laws, namely, Regulation for the use of Public Parks, Gardens and other public places and the protection of avenues, trees, places in the Fatehgarh Cantonment were published by the Government of India in the Ministry of Defence vide Gazette Notification number date inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expirit of the paried of thirty days from the date on which
to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;
AND WHEREAS the copies of the public notice containing the said notification were made available to the public on the 12.09.2023, and notice of the same put on the Cantonmen Board Notice Board, website and also published in the local paper namely Danik Hindustar dated 12.09.2023 to invite the objections and suggestions:
AND WHEREAS objection or suggestion was received from the public within the specified period:
NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 348 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) the Fatehgarh Cantonment Board with the approva of the Central Government hereby makes the following bye-laws namely:
The following byelaws for the regulating the use of public park, gardens and other public places and the protection of avenues trees, grass and other appurtenances of streets and other public places in the Fatehgarh Cantonment, in exercise of the powers concurred by of the section 348 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) (hereinafter referred to the said Act) at Serial No.21 are hereby published for general information, the Rules having been previously published and having been approved and certified by the Central Government, as required by section 348 of the said Act, namely:-
1. Short title and commencement — These byelaws may be called "the Bye-laws for regulating the use of Public Parks, Gardens and other public places and the protection of avenues trees, grass and other appurtenances of streets and other public places in the Fatehgarh Cantonment- 2023".
 They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Applicability —These bye-laws shall be applicable within the territorial limits of the

Fatehgarh Cantonment.

- **3. Definitions-** In these Byelaws unless there is anything repung the subject or context.
 - (a) "Board" means the Cantonment Board, Fatehgarh.
 - (b) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Board.
 - (c) "Public Park, garden" means Public Parks and Garden as defined in Cantonments Act 2006.
 - (d) "President" means President of Cantonment Board ex-officio Station Commander by virtue of office at Fatehgarh Cantonment.
- 4. No person shall enter or quit a public park or garden otherwise than through a gate, wicket, passage or opening specially provided for the purposes.
- 5. No person shall remove, deface or injure any sign board, notice board, plans or any support or fastening or fittings thereof, which is set up or maintained by the Cantonment Board, in any part of a public park or garden.
- 6. No person shall remove, injure or destroy any part of a wall, railing, badge or fence, in or enclosing a public park or garden, or any part of a building, structure or exaction or any monument, fountain, wall of art, ornament or decoration, or any appliance or apparatus, or article used in, or for the purpose of laying out, planting, improving or maintaining a public park or garden, or for the care, cultivation or protection of any tree, sapling, shrub, plant, or the like therein.
- 7. No person shall at any time, in any part of a public park of garden, walk, run, stand, sit or lie upon any part of a bud of flowers, plants, Shrub or on any ground in course of preparation or cultivation as flower bed, or for the reception or growth of flowers, plant or shrubs.
- 8. No person shall, at any time in any part of a public park or gardens, pluck or injure any bud, blossom or flowers or any tree, sapling, shrub or plant.
- 9. No person shall, throw or discharge in a public park or garden any stone or article, to cause injury or danger to any person therein, by throw, deposit or lay anything.
- 10. No person shall, without the written permission of the Chief Executive Officer, ply in any part of the public park or garden, any musical instrument or drum or shout or sing in a manner likely to interfering with the lawful enjoyment of any other person using the public park or garden.
- 11. A public park or garden shall not, except with the written permission of the Chief Executive Officer; be used for the purpose of playing games, or of holding meetings or fairs, or celebrating festivals, or for any purpose other than that of public resort.
- 12. No person shall, in any part of a public park or garden or hand spread or deposit any clothes, linen or other fabric for the purpose of drying or bleaching.
- 13. No animal shall, without the written permission of Chief Executive Officer, be permitted by its owner or the person In-charge thereof to graze on, or be driven over, any land forming part of a public park or garden.

- 14. No person shall, without the sanction in writing of the Chief Executive Officer, remove, cut or destroyed, any tree, shrub or plant, standing in a public park or garden or in any avenue or other public place, or out any grass there from or from roadsides or other public places.
- 15. No person shall removes, injure or destroy any guard, enclosure erected by the Cantonment Board for the protection of growing trees.

16. Penalty for breach of bye-laws (as per Section 349 of Cantonments Act 2006) Contravention of any of the provisions of these byelaws shall be punishable

- (a) with fine which may extend to Rs.5000/- (Rupees five thousand rupees) or
- (b) with fine which may extend to five thousand rupees and, in case of a continuing contravention with additional fine which may extend to Five Hundred Rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention; or
- © with fine which may extend to One Hundred Fifty Rupees for every day during which such contravention continues after the receipt of a notice from the Board or Chief Executive Officer by the person contravening the bye-law requiring such person to discontinue such contravention.

(Sudhir Kumar)

Chief Executive Officer, Fatehgarh Cantt.

(File No. FCB/ADM/Review of Byelaws & Regulations /2023-24).

ं प्रारम्)

[भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-॥, खंड-4 में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक

एस०आर०ओ० _____ चूंकि प्रारूप उपनियम, फतेहगढ़ छावनी क्षेत्र में पार्कों, उद्यानों व अन्य पब्लिक स्थानों के उपयोग तथा मार्गों, वृक्षों व स्थानों के संरक्षण हेतु उपनियम, 2023 भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या दिनांकः द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी इनसे प्रभावित होने की सम्भावना थी, उस दिनांक से, जिस दिनांक को उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट प्रकाशन की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, तीस दिन की अविध की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए।

उक्त अधिसूचना अंर्तविष्ट प्रकाशन की प्रतियां दिनांक 12/09/2023 को जनता को आपित्त एंव सुझाव हेतु उपलब्ध कराई गईं और इस आशय की सूचना छावनी परिषद सूचना बोर्ड पर दर्शाई गई तथा दिनांक 12/09/2023 को स्थानीय समाचार पत्र दैनिक हिन्दुस्तान तथा छावनी परिषद फतेहगढ़ की वेबसाइट (https://fatehgarh.cantt.gov.in) पर भी प्रकाशित की गई

तथा कोई आपत्ति अथवा परामर्श विनिर्दिष्ट अवधि के अधीन जनता से प्राप्त

अतः छावनी अधिनियम, 2006 (2006 की 41) की धारा 348 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से फतेहगढ़ छावनी परिषद निम्नलिखित उप-नियम बनाती है:

हुआ।

फतेहगढ़ छावनी क्षेत्र में के अन्तर्गत आने वाले पार्कों, उद्यानों व अन्य पब्लिक स्थानों के उपयोग तथा मार्गों, वृक्षों व स्थानों के संरक्षण हेतु निम्निलखित उप नियम, छावनी परिषद फतेहगढ़ द्वारा छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा—348 द्वारा सहमित प्राप्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए बनाये गये हैं (इसके बाद सन्दर्भित किया गया है) उक्त अधिनियम हेतु एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, नियम पहले प्रकाशित किये जा चुके हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित व प्रमाणित किये गये हैं, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 348 की उप—धारा (1) द्वारा आवश्यक है, अर्थात्:—

फतेहगढ़ छावनी परिषद पार्कों, उद्यानों व अन्य पब्लिक स्थानों के उपयोग तथा मार्गों, वृक्षों व स्थानों का संरक्षण उप-नियम 2023

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:
- (1) इन उप-नियमों का संक्षिप्त नाम फतेहगढ़ छावनी पार्कों, उद्यानों व अन्य पब्लिक स्थानों के उपयोग तथा मार्गों, वृक्षों व स्थानों का संरक्षण उप–नियम, 2023 है।
- (2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. लागू होना: ये उप-नियम फतेहगढ़ छावनी क्षेत्र की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

- 3. परिभाषाएं: इन उप-नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
 - (क) "बोर्ड" का तात्पर्य छावनी परिषद फतेहगढ़ से है।
 - (ख) "मुख्य अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य छावनी परिषद फतेहगढ़ के मुख्य अधिशासी अधिकारी से है।
 - (ग) "पब्लिक पार्कों, उद्यानों" का तात्पर्य ऐसे पब्लिक पार्कों और उद्यानों से है जो छावनी परिषद अधिनियम, 2006 में परिभाषित किये गये हैं
 - (घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य पदेन स्टेशन कमाण्डर एंव अध्यक्ष, छावनी परिषद फतेहगढ़ से है।
- 4. इस उपविधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पार्कों एंव उद्यानों में विशेष रूप से प्रवेश एंव निकास हेतु बनाये गये द्वारों, विकेट अथवा खुले मार्गों के अलावा किसी और स्थान से प्रवेश नहीं करेगा और न ही बाहर निकलेगा।
- 5. कोई भी व्यक्ति छावनी परिषद द्वारा सार्वजनिक पार्कों एंव उद्यानों में स्थापित या रख-रखाव किये गये किसी भी साइन बोर्ड, नोटिस बोर्ड, नक्शा या किसी सहारा या फास्टिनंग या फिटिंग आदि को क्षतिग्रस्त या हटायेगा नहीं।
- 6. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पार्क, बगीचे या किसी इमारत, संरचना या निर्माण या किसी स्मारक, फव्वारे, कला की दीवार के किसी भी हिस्से में दीवार रेलिंग, बैज या या बाड़ कि किसी भी हिस्से को नहीं हटायेगा, नुकसान नहीं पहुँचायेगा या नष्ट नहीं करेगा और न ही किसी तरह के आभूषण या सजावट, या कोई भी उपकरण या लेख जिसका उपयोग किसी सार्वजनिक पार्क या बगीचे के, रोपण, सुधार या रख रखाव के लिये या किसी पेड़, पौधे, झाड़ी इत्यादि को क्षतिग्रस्त नहीं करेगा।
- 7. कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी सार्वजनिक पार्क या उद्यान के किसी भाग में फुलवाड़ी में न तो चलेगा, न दौड़ेगा, न ही खड़ा होगा। फूलों, पौधों, झाड़ी या जमीन पर बैठना या लेटना तथा फूलों के बिस्तर के रूप में तैयार करने, स्वागत हेतु फूलों इत्यादि को किसी तरह की हानि नहीं पहुँचायेगा।
- 8. कोई भी व्यक्ति किसी भी समय सार्वजनिक पार्क अथवा उद्यान में लगे पौधों, फूलों, झाड़ियों आदि को तोड़ेगा नहीं और किसी तरह की हानि नहीं पहुँचायेगा।
- 9. कोई भी व्यक्ति किसी भी समय सार्वजनिक पार्क अथवा उद्यान में पत्थर या अन्य कोई वस्तु नहीं फेंकेगा, वहां किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने या खतरनाक स्थिति उत्पन्न करने के उद्देश्य से।
- 10. कोई भी व्यक्ति मुख्य अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुमित के बिना सार्वजनिक पार्क या उद्यान के किसी भी हिस्से में कोई संगीत वाद्ययन्त्र या ड्रम नहीं बजायेगा, या चिल्लायेगा नहीं और गाना नहीं गायेगा, जिससे किसी व्यक्ति के वैध आनन्द में हस्तक्षेप हो।
- 11. कोई भी व्यक्ति द्वारा मुख्य अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुमित के बिना सार्वजिनक पार्क या उद्यान के किसी भी हिस्से में खेल खेलने या बैठकें, या मेले आयोजित करने या त्योहार मनाने या सार्वजिनक सहारा के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- 12. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पार्क व उद्यान के किसी भी हिस्से में कपड़ा सुखाने के उद्देश्य से हाथ नहीं फैलायेगा या जमा नहीं करेगा तथा ब्लीच आदि का प्रयोग नहीं करेगा।
- 13. मुख्य अधिशासी अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जानवरों को सार्वजनिक पार्क तथा उद्यानों की भूमि पर ले जाने अथवा चराने की अनुमति नहीं दी जायेगी

- 14. कोई भी व्यक्ति मुख्य अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुमित के बिना किसी सार्वजनिक पार्कों, उद्यानों, किसी रास्ते या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़े किसी पेड़, झाड़ी, पौधे को नहीं हटायेगा, न ही काटेगा और न ही कोई हानि पहुँचायेगा
- 15. कोई भी व्यक्ति छावनी परिषद द्वारा पेड़ों की सुरक्षा हेतु बनाये गये किसी भी सरुक्षा घेरा या बाड़े को हटायेगा नहीं, नष्ट नहीं करेगा, क्षतिग्रस्त नहीं करेगा।
- **16**. **उपनियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माना** (छावनी अधिनियम 2006 की धारा 349 के अनुसार) :— इस उपनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन दण्डनीय होगा।
- (अ). जुर्माना, जो रू० 5,000 / (पांच हजार रूपये) तक बढ़ाया जा सकता है।

'या

(ब). जुर्माने से, जो रू० 5,000 / — (पांच हजार रूपये) तक बढ़ाया जा सकता है और जारी रहने की स्थिति में उल्लंघन पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जायेगा, जो प्रत्येक दिन के हिसाब से रू० 500 / — तक बढ़ाया जा सकता है। जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन पहले ऐसे उल्लंघन के लिये दोषी ठहराये जाने के बाद भी जारी रहता है।

'या'

(स). जुर्माने के साथ, जो उस दौरान प्रत्येक दिन के लिये रू० 150/— तक बढ़ाया जा सकता है ऐसा उल्लंघन बोर्ड या मुख्य अधिशासी अधिकारी से नोटिस प्राप्त होने के बाद भी जारी रहता है, अधिकारी द्वारा उपविधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति से इसे बन्द करने की अपेक्षा की जाती है।

(सुधीर कुमार)

मुख्य अधिशासी अधिकारी, फतेहगढ़ छावनी।

पत्रावली संख्या एफ.सी.बी. / एडम / उपनियमों व विनियमों की समीक्षा / 2023-24